

जिलाधिकारी ने दिया सड़को को गङ्गा मुक्त किये जाने का निर्देश



दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। सड़को को
गड्ढा मुक्त किये जाने के संबंध
में जिलाधिकारी संजीव रंजन
की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास
अधिकारी श्री जयेन्द्र कुमार की
उपस्थिति में कलेक्टरेट सभागार
में बैठक सम्पन्न हई। जिलाधि-
कारी संजीव रंजन ने उपस्थित
अधिशासी अभियन्ताओं को
निर्देश देते हुए कहा कि शासन
के निर्देशानुसार की सड़को को
30 नवम्बर 2022 तक का समय
निर्धारित किया गया है, इसे
30 नवम्बर 2022 पूर्ण करा
लिया जाये। जिलाधिकारी ने

ख्य विकास अधिकारी को अभियन्ता को जांच करने व न्दमली 2-2 सड़को की जांच निर्देश दिया। प्रै लो०नि०वि० बांसी ने बताया कि बांसी-दुमरियांज, बांसी इटवा एवं बांसी नन्दौर माली की सड़क को गढ़दा मुक्त किया गया है। बाढ़ के दौरान क

सड़क तुलसियापुर को भरवा दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिकाधनगर पंचायत को कार्योजना बनाने का निर्देश दिया।

कारी ने एन.एच. के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिया विएन.एच. पर ककरही पुल व पास तथा भीमापार के आगे जो सड़के धांस गयी है उन्हें

अभियन्ताओं को निर्देश दिया
कि जनपद की सड़के दिनांक
30.11.2022 तक शासन के
मंशानुरूप गद्वा मुक्त करा दिया
जाये।

गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता
लोनियो बांसी, इटवा, अपर
मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
सन्तोष कुमार सिंह, अधिकारी
नगर पालिका परिषद बांसी

इस बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०प्र०खो० बजिक्षोर नगर पालापण पारचय बाटा, नगर पंचायत कपिलवस्तु तथा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

अवशेष प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया

मुख्य विकास अधिकारी ने
डुमरियागंज में निमाण्डीन
सेतु का निरीक्षण किया

दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। जयेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी महोदय



दैनिक बुद्ध का संदेश
भनवापुर/सिद्धार्थनगर। गाँव
चौखड़िया, विकास खण्ड इटवा
में इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंध
एन योजना के अंतर्गत आचार्य
नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या
या द्वारा संचालित कृषि वैज्ञान
केंद्र सोहना सिद्धार्थनगर के कृषि
वैज्ञानिकों द्वारा प्रक्षेत्र दिवस
कार्यक्रम आयोजित किया गया
द्य कार्यक्रम में केन्द्र के फसल
कुमार ने बताया कि फसल
अवशेषों को जलाने से पर्यावरण
में कार्बनऑक्साइड, कार्बनमोनो
ऑक्साइड, सल्फर
डाइऑक्साइड, सूक्ष्म कण जैसे
हानिकारक पदार्थ घुल कर पशुओं
एवं मनुष्यों में स्वास्थ्य सम्बन्धी
समस्याएं उत्पन्न करती हैं
इसलिए किसान भाई फसल
अवशेष न जलायें।

डॉ. सर्वजीत ने किसानों
को बताया कि फसल अवशेषों

वहायता से सड़क 25 लीटर गनी में 1 से 2 किलोग्राम गुड़ गो मिलाकर हल्की आंच पर बालें, उबालने के बाद टण्डा रें इसके बाद डिकंपोजर की क कैप्सूल को धोलें और फिर गोल को 3 से 4 दिन के लिये ख दें। इसके बाद 10 लीटर ति एकड़ प्रयोग करें। जिससे 0 से 25 दिन में फसल अवशेष गड़कर खाद बन जायेगा। डॉ. स के मिश्रा ने किसानों को कि किसान धान के पुआल व खेत में सड़कर गेंहूँ व उन्तशील प्रजातियों की सम से लाईन से बुबाई करें, लाई से बुबाई करने से पौधों को वृ एवं विकास करने के लिआवश्यकता अनुसार रथान, स का प्रकाश और पोषण तत्व उपलब्ध होते हैं। जिससे फस की अच्छी पैदावार मिलती है मृ विशेषज्ञ प्रवेश कुमार ने बताकी एक टन धान का अवशे

नत्रजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 2.5 किलोग्राम पोटाश और 1.2 किलोग्राम सल्फर और 400 किलोग्राम कार्बन होता हैं जो फसल अवशेष जलाने से नष्ट हो जाते हैं यदि किसान धान के अवशेष को प्रभावी तरीके से अपने खेत में ही कृषि यंत्रों से या डीकम्पोजर की सहयता से खेतों में ही मिलाकर सड़ते हैं तो अगली फसल की शुरुआती अवस्था में लगभग 40 प्रतिशत नत्रजन, 30

85 प्रतिशत पोटाश और 40 रुपए प्रति टन की अवशेष की दर 45 प्रतिशत सल्फर की पूर्ति हो जाती है इसलिए किसान भारतीय फसल अवशेष न जलाकर खेत में ही सड़ायेद्य प्रगतिशील किसानों ने भविष्य में भी फसल अवशेष को ना जलाने के लिए सभी किसानों भारी के साथ ही संकल्प लिया विद्युतीय हम फसल नहीं जलाएंगे कार्यक्रम में परमात्मा प्रसाद, राजकुमार चौधरी, राम निवास, अनीस, विनोद धर्मराज, शिव प्रसाद, आदि किसानों

सुरक्षा कृषि वज्ञानक डा प्रदीप का खत में हो डिकम्पाजर का प्रक्षेत्र दिवस के अवसर पर बताया गौराही बुजुर्ग में मनरेगा योजना से मिट्टी पटाई कार्य का हुआ निरीक्षण

गणित विज्ञान बोर्ड ने पी एन श्री ग कोवलाली का किया विदेषाण

जोडता है। सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण है, पचमोहनी मार्ग की तरफ एप्रोच का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। औराताल की तरफ एप्रोच का कार्य कराया जा रहा है। सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि औराताल-बनगाई पी०एम०जी०एस०वाई० मार्ग को जोडने के लिए एप्रोच पर मिट्टी पटाई कार्य कराया जा है। सहायक अभियन्ता, सेतु निगम को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय तक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**विकास खण्ड मे बने बनगाई तक
5.00 किमी निर्माण का हआ निरीक्षण**

दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। जयेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधा-



श्रमिक नियोजित किया गया है, निरीक्षण के समय सभी श्रमिक उपलब्ध पाए गए दोनों कार्यस्थल पर सीआईबी बोर्ड लगाया गया है, परंतु सम्पूर्ण विवरण नहीं लिखा गया है, जिसे अंकित करने के निर्देश दिया गया मौके पर कार्य के प्राक्कलन में पूर्व कार्य कितना दर्शाया गया है, इस सम्बध में तकनीकी सहायक को है, निरीक्षण के समय प्राक्कलन गया गया खण्ड विकास अदि किया गया कि प्राक्कलन के बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में विशेष करें तकनीकी सहायक तत्त्वाओं नोटिस निर्गत करते हुए

The image consists of two photographs. The top photograph shows a group of men walking down a pink-walled corridor. One man in a white shirt and brown vest is in the foreground, while others in various attire follow behind. The bottom photograph shows the same group of men standing outside a building entrance under a pink canopy. A banner is visible above the entrance, though its text is partially obscured. The overall scene suggests a formal visit or inspection.

सम्पादकीय

इनका ध्यान रखते हुए यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि चुने हुए प्रतिनिधि अगर पार्टी छोड़ते हैं और अपनी विधायकी या सांसदी से इस्तीफा देते हैं तब भी पांच साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। चुनाव से छह महीने पहले इस्तीफा देने वालों के लिए जो नियम बनाया जा रहा है वह पूरे पांच साल के लिए रहे...

क्योंकि राज्य सर्वोच्च है!

डेटा प्रोटेक्शन के बिल के नए प्रारूप के तहत सरकारी एजेंसियां जब तक चाहेंगी, नागरिकों का डेटा रख सकेंगी और उनका वे जिस मकसद के लिए चाहें, उपयोग कर सकेंगी। आखिर ऐसा क्यों? डेटा प्रोटेक्शन के बिल के पेश प्रारूप के बारे में यह बात यह जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि यह अंतिम मसविदा नहीं है। बल्कि सरकार ने इसे आम जन की राय जानने के लिए सामने रखा है। लोग अगले 17 दिसंबर तक इस पर अपनी राय सरकार को बता सकते हैं। इसलिए अभी इसमें कहीं गई बातों को आधार पर बना कर सरकार की आलोचना करना भी शायद तार्किक महसूस ना हो। लेकिन पुष्टभूमि यह है कि सरकार ने इस बिल का प्रारूप पहले भी पेश किया था। उसकी सिविल सोसायटी में हुई कड़ी आलोचना के बाद वापस लिया गया। अब संशोधित प्रारूप सामने लाया गया है। इसमें किसी नागरिक के डेटा का प्राइवेट सेक्टर दुरुपयोग ना करे, इसके पुछता इंतजाम है। मसलन, यह कि किसी कंपनी को डेटा कि उपयोगिता पूरी होने के बाद तमाम डेटा को डिलीट कर करना होगा। इसके अलावा जिस मकसद से डेटा लिया गया है, उसके अलावा उसका उपयोग करना भी दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। ऐसा करने वाली कंपनी पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता। यह अच्छा प्रावधान है। लेकिन जो बात खटकती है वो यह है कि यहीं प्रावधान सरकार और उसकी एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। बल्कि सरकारी एजेंसियां जब तक चाहेंगी, नागरिकों का डेटा रख सकेंगी और उनका वे जिस मकसद के लिए चाहें, उपयोग कर सकेंगी। आखिर ऐसा क्यों? संभवतर इसलिए कि वर्तमान सरकार यह मान कर चलती है कि जैसे राजतंत्र के दौर में राजा सर्वोच्च होता था, वैसे ही आज के दौर में राज्य सर्वोच्च है। यानी नागरिक उसके मातहत हैं। जबकि लोकतंत्र की पूरी धारणा इस सोच पर आधारित है कि राज्य-तंत्र के मालिक लोग हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का हित और राय ही सर्वोच्च है। दरअसल, अधिकारों की तमाम अवधारणाएं राज्य के विरोध में नागरिक की सर्वोच्चता की धारणा पर जोर देते हुए विकसित हुई हैं। इसलिए नागरिकों की निजता और उनसे संबंधित सूचनाओं पर राज्य का मालिकाना नहीं हो सकता। इसलिए यह कहा गया है कि बिल का नया प्रारूप लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। आशा है, सरकार नागरिक समाज की इस भावना को सुन कर अंतिम प्रारूप तैयार करेगी।

राज्य स्थापना दिवस पर यह राज्य अपने साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं विभिन्न क्षेत्र के अग्रणी लोगों को चिह्नित करते हुए उन्हें सम्मानित भी करता है। तीज त्यौहार पर मांदर की धारा के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री भी गेड़ी नृत्य में सम्मिलित होते हैं। वे हथेली पर भंवरा नचाकर जनजीवन में घुल मिल जाते हैं। निश्चित रूप से इसलिये कहा जाता है—**है—छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया...**

डा.ए.आर.दल्ला

वन बाहुद्ध क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। विभिन्न जनजातियों की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और गौरवशाली विरासत है। सदियों से यहाँ सामूहिक जीवन, सामूहिक उत्तरदायित्व और सकारात्मक जुड़ाव है। यहाँ के राजनीतिक परिवेश में यह बात आज भी साफ़ झलकती है। सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता छत्तीसगढ़ की अपनी थाई है।

एक नवम्बर 2000 की मध्यरात्रि रायपुर के पुलिस ग्राउंड पर एक नये राज्य का उदय हो रहा था। सब तरफ उत्साह और आशा का प्रवाह था। छत्तीसगढ़ के हम लोग अपनी किस्मत की इबारत खुद लिखने वाले थे। नवजात राज्य अब अपनी प्राथमिकताएं तालाश रहा था।

छत्तीसगढ़ की 44 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। धरती रत्न गर्भ है। कोयला लौह अयस्क, लाइम स्टोन (चूना), डोलामाइट, बासाइट के साथ ठीन के भंडार से यहाँ की धरती भरी पड़ गई है। हीरे जवाहरत के दोहन की इबारत अब के क्षेत्र में भिकास हो रहा है। निश्चित

लिखी जानी है।

44 प्रतिशत वनों के बाद सिर्फ 35

प्रतिशत भूमि ही खेती के लिये उपलब्ध है।

यहाँ की मिट्टी, मटारीधाटा, दोमटी और कन्हारी है। सिंचाई के साधन सीमित हैं। धान के इस कटोरे में अब अभिनव प्रयास हो रहे हैं। उपलब्ध संसाधनों के देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शर्करा की रायपुर के चलते गोठान, आर्गेनिक खेती और गोबर का महत्व अब छोड़ दिया है। जिसकी चर्चा देशों में भी पैदा होती है। ऊर्जा-रोटी के लिए यहाँ को बढ़ाव देती है।

जिसकी चर्चा देश और विदेशों में भी हो रही है। ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पहल के चलते गोठान, आर्गेनिक खेती और गोबर का महत्व अब छोड़ दिया है।

तेजी से यहाँ की खेती के अलावा अब यहाँ सायाबीन, उड़द, अरर, मूंग और दलहन के साथ,

कोटी, कुटकी और गन्ना की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यानिकी की एवज में खरीद लिया जाता था।

केंद्र सरकार दलबदल का नया कानून लाने जा रही है। अस्सी

के दशक में तब की राजीव गांधी सरकार ने जो दलबदल

कानून बनाया था उसमें कई बार संशोधन हो चुका है। पिछले

कुछ बरसों में नेताओं के पार्टी छोड़ने की जैसी प्रवृत्ति देखने को मिले हैं

उनसे लग रहा है कि नया कानून समय की मिलत है।

लेकिन इस बार कानून आधा अधूरा नहीं बनना चाहिए। उससे

भी ज्यादा जरूरी यह है कि सिर्फ व्यावहारिक राजनीतिक पहलू

को ध्यान में रख कर कानून नहीं बनाना चाहिए। बल्कि

राजनीति की शुचिता का भी ध्यान रखते हुए कानून बनाना चाहिए। बताया जा रहा है कि नया दलबदल कानून सिर्फ विधायकों, सांसदों यानी चुने हुए प्रतिनिधियों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि पंजीकृत पार्टीयों के पदाधिकारियों पर भी नया कानून लागू होगा। इसका मतलब है कि किसी रजिस्टर्ड पार्टी का पदाधिकारी भी दलबदल करता है तो उसे दलबदल विरोधी

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि नए कानून के तहत चुनाव से छह महीने पहले दलबदल करने वाले पदाधिकारी को भी किसी दूसरी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। वह चाहे तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। कानून का यह प्रावधान चुने हुए प्रतिनिधियों को भी चुनाव लड़ने से रोकेगा। यानी

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामना करना चाहिए। उनसे

कानून के तहत कर्वाई का सामन

